DELHI POLICE 2025
CONSTABLE
HCM
AWO/TPO
DRIVER
यकीन बैच
POLITY
मौलिक कर्तव्य
(FUNDAMENTAL DUTY)
LIVE
13-02-2025 12:10 PM

Polity → राज्य के नीति निदेशक | DPSP   class-2

समान कार्य के समान वेतन

→ Art 39 → राज्य का कर्त्तव्य है (it is the duty of state)

नागरिको मूल भूत जरूरतो को पुरा करे (Basic needs)

Art 39 क → (39A) → सभी को समान रूप से न्याय एवं आर्थिक रूप से पिछडे लोगो को निशुल्क कानून सहायता दें।

Equal Justice to all and Provisions of Free Legal Aid to Economically weak Persons.

Art → [39 d] [39घ] → स्त्री एवं पुरुषों को समान कार्य के लिये समान वेतन का प्रावधान
Provision of Equal Pay for equal work for men and women.

Art-40 → ग्राम पंचायतों का गठन / Formation of Gram Panchayat.

Art-41 → कुछ मामलों रोजगार व शिक्षा का प्रावधान → सभी नागरिक अपनी योग्यता के आधार पर रोजगार व शिक्षा पा सकें
Provision of Employment and Education
All citizen can get employment and Education to their ability.

→ मनरेगा - 2005
2009 → नरेगा → 100 days → रोजगार की गारन्टी

[Art 42] → कार्य करने की न्यायसंगत एवं मानवीय दशाएं
Just and Human Condition of work.

→ स्त्रियों को प्रसुति सहायता / Maternity help to women

6 माह

[Art-43] → सभी मजदूरों को उचित मजदूरी (get fair wages for living)

[Art 43 क] → कर्मचारियों को औद्योगिक संस्थानों के प्रबन्धन में भागीदार बनाया जाये।
Employees can be made partners in the management of Industrial institutions.

→ 42वें CA - 1976 जोड़ा गया / Add on.

Art → 43ख ⇒ राज्य सहकारी समितियों का गठन / Formation of state co-operative societies.

⇓

97^{th} CA - 2011

Art → 44 → समान नागरिक संहिता [Uniform civil code]

- प्रथम राज्य / state - गोवा ।
- आजादी के बाद / After Freedom → 27 Jan - 2025 → time - 12:45
  - ↳ प्रथम राज्य UK (उत्तराखण्ड) द्वारा ।

12:30 - UCC Portal

Art → 45 → बाल्यावस्था की देख रेख एवं प्रारम्भिक शिक्षा :- (6 years से कम)

Right to childhood and education for children's below the age of 6 years.

Art 46 → SC एवं ST के लिए कुछ विशेष प्रावधान / special provision for Scheduled cast and Scheduled tribes

राज्य के नीति निदेशक तत्व /Directive Principles of State Policy

- ❖ भाग–4 /Part-4
- ❖ अनुच्छेद – 36–51 /Article - 36-51
- ❖ प्रेरित – आरयलैण्ड के संविधान से।
  Inspired by - the Constitution of Ireland.
- ❖ उद्देश्य – कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना।
  Purpose - To establish a welfare state.

नोटः– **DPSP** न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है।

Note:- DPSP cannot be enforced by the court. They do not have legal power.

केे.टी. शाह – राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्त ऐसा चैक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है।

K.T. Shah – Directive Principle of state Policy is a cheque that pays at the bank's convenience.

जी. ऑस्टिन – **DPSP** को संविधान की आत्मा कहा।

G. Austin - called the DPSP the soul of the Constitution.

डॉ. भीमराव अम्बेडकर – **DPSP** को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता कहा।

Dr. Bhimrao Ambedkar - DPSP called a unique feature of the Indian Constitution.

के.सी. व्हीलर – लक्ष और आंकाक्षों का घोषणा पत्र।

K.C. Wheeler - A manifesto of goals and aspirations.

एल. एम. सिंघवी – संविधन के जीवनदायी प्रावधान

L.M. Singhvi - Life-giving provisions of the Constitution

टी.टी. कृष्णामचारी – भावनाओं का वास्तविक कूड़ादान

T.T. Krishnamachari - A Real dustbin of emotions

नोट :– कानून बनाते समय DPSP को ध्यान में रखना चाहिए।

अनुच्छेद–36 राज्य की परिभाषा। / **Definition of State.**

अनुच्छेद –37 DPSP किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। ये वाद योग्य नहीं है।

Article-37 - DPSP be enforced by any court. This is not debatable.

अनुच्छेद –38 राज्य का कर्त्तव्य है कि वह लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति के सुनिश्चित करें।

Article-38 It is the duty of the state to ensure social, economic and political justice to the people.

अनुच्छेद –39 राज्य समान कार्य के समान वेतन देगा।

Article-39 - The state shall give equal pay for equal work.

अनुच्छेद –39 (क) सभी को समान रूप न्याय तथा आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था

Article-39 (a) - Equal justice to all and provision of free legal aid to economically weak persons

अनुच्छेद–39 (घ) स्त्री एवं पुरूषों को समान कार्यों के लिए समान वेतन का प्रावधान।

Article-39 (d) - Provision of equal pay for equal work for men and women.

अनुच्छेद–40 ग्राम पंचायतों का गठन

Article-40 - Formation of Gram Panchayats

अनुच्छेद–41 सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार व शिक्षा पा सकें।

Article-41 - All citizens can get employment and education according to their ability.

अनुच्छेद –42 – कार्य करने की न्याय संगत एवं मानवीय दशाएं।

Article-42 - Just and humane conditions of work.

स्त्रियों को प्रसूति सहायता।

Maternity help to women.

अनुच्छेद–43 राज्य का कर्तव्य है कि वह कृषि और उद्योग में लगे हुए सभी मजदूरों को जीवन निर्वाह के लिए उचित मजूदरी मिल सके।

Article-43 - It is the duty of the state to ensure that all laborers engaged in agriculture and industry get fair wages for living.

अनुच्छेद– 43(क) – कर्मचारियों को औद्योगिक संस्थानों के प्रबन्धन में भागीदार बनाया जा सके।

Article- 43 (a) - Employees can be made partners in the management of industrial institutions.

अनुच्छेद –43 (ख) राज्य सहकारी समितियों का गठन।

Article-43 (b) - Formation of State Cooperative Societies.

अनुच्छेद –44 समान नागरिक संहिता।

Article - 44 - Uniform Civil Code.

अनुच्छेद – 45 6 वर्ष के कम आयु के बच्चों के लिये प्रारम्भिक बाल्यावस्था देख–रेख और शिक्षा का अधिकार।

Article - 45 - Right to early childhood care and education for children below the age of 6 years.

अनुच्छेद –46 SC तथा ST के आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास का प्रावधान।

Article-46 - Provision for economic and educational development of SC and ST.

अनुच्छेद – 47 नशीलें पदार्थों पर प्रतिबन्ध।

Article - 47 - Prohibition on narcotic substances.

अनुच्छेद– 48 कृषि एवं पशुओं की सुरक्षा।

Article- 48 -Protection of agriculture and Animals.

अनुच्छेद – 48 (क) पर्यावरण संरक्षण तथा वन और वन्यजीवों की सुरक्षा।

Article - 48 (a) - Environment protection and protection of forests and wildlife.

अनुच्छेद – 49 राष्ट्रीय एवं ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा।

Article - 49 - Protection of national and historical monuments.

अनुच्छेद – 50 कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को अलग करना।

Article-50 - Separation of executive and judiciary.

अनुच्छेद– 51 अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा तथा भारत की विदेश नीति से सम्बन्धित निदेशक तत्व।

Article-51 - Directive principles related to international peace and security and India's foreign policy.